संख्या/122/ 2015/XXVII(9)/मनो0कर–24/2010

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
(मनोरंजन कर)
उत्तराखण्ड देहरादून।

वित्त अनुभाग–9 देहरादूनः दिनांक 07 दिसम्बर, 2015

विषयः– **प्रदेश में मल्टीप्लैक्स छविगृहों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोत्साहन योजना (दिनांक 07.06.2010 से 06.06.2015 तक की अवधि हेतु) के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 65/XXVII(9)/2011/मनो0कर–24/2010 दिनांक 07 जून 2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त शासनादेश को सूचना विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 38/XXII/2015–34(सूचना)2015 दिनांक 10 अगस्त 2015 द्वारा जारी उत्तराखण्ड फिल्म नीति, 2015 के बिन्दु संख्या 6(2) के बिन्दु संख्या (छ) में वर्णित प्राविधानानुसार उक्त फिल्म नीति लागू होने की तिथि से एक वर्ष तक विस्तारित किया गया है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड फिल्म नीति, 2015 के बिन्दु संख्या 6(2) के बिन्दु संख्या (छ) में वर्णित प्राविधानानुसार संबंधित शासनादेश को उक्त फिल्म नीति लागू होने की तिथि से अर्थात् दिनांक 10 अगस्त 2015 से एक वर्ष तक विस्तारित किया जाता है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या (1)/2015/XXVII(9)/मनो0कर–24/2010 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
3. वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(बी0डी0 बेलवाल)
अनुसचिव।